

## आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या -01 वर्ष 2018) के अनुक्रम में विभागाध्यक्ष स्तरीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नामों के सम्मुख अंकित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है। उनकी सेवाओं की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थल	नव तैनाती स्थल	स्थानान्तरण औचित्य
1	श्री राजीव कुमार चौहान	निरीक्षक (रेशम)	राजकीय रेशम फार्म सिंहनीवाला जिला-देहरादून	राजकीय रेशम फार्म कफलखेत जिला- बागेश्वर	स्थानान्तरण एक्ट 2018 की धारा 7 (क) के नियमों के तहत
2	श्रीमती यशोधरा जोशी	प्रदर्शक (रेशम)	राजकीय रेशम फार्म सहसपुर जिला-देहरादून	राजकीय रेशम फार्म बिलखेत जिला-पौड़ी गढवाल	स्थानान्तरण एक्ट 2018 की धारा 7 (क) के नियमों के तहत
3	श्री अमित शेखर सिंह नेगी	प्रदर्शक (रेशम)	राजकीय रेशम फार्म बिलखेत जिला-पौड़ी गढवाल	राजकीय रेशम फार्म सहसपुर जिला-देहरादून	स्थानान्तरण एक्ट 2018 की धारा 10 (क) के नियमों के तहत

1. सम्बन्धित कार्मिकों को एक्ट की धारा 22 (2) के तहत नव तैनाती के स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. सम्बन्धित कार्मिकों को प्रत्येक दशा में आदेश के निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनके विरुद्ध एक्ट की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. सम्बन्धित कार्मिकों के नियन्त्रक अधिकारियों /केन्द्र प्रभारी एक्ट की धारा 22 (1) के तहत आदेश जारी होने के दिनांक/ एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर नव तैनाती स्थल हेतु कार्मिकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे, यदि किसी अधिकारी/केन्द्र प्रभारी द्वारा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

निदेशक  
रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड  
प्रेमनगर- देहरादून।

रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड प्रेमनगर – देहरादून ।

पत्रांक- 425-C /स्था0-स्थाना0 /2019-20

दिनांक 25 जून 2019

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सम्बन्धित कर्मचारी ।
2. वित्त अधिकारी साईबर ट्रेजरी 23 लक्ष्मी रोड देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी श्रीनगर गढवाल/अल्मोडा ।
4. संयुक्त निदेशक रेशम निदेशालय प्रेमनगर देहरादून ।
5. उपनिदेशक (रेशम) हल्द्वानी-नैनीताल/ श्रीनगर पौड़ी गढवाल ।
6. सहायक निदेशक (रेशम) देहरादून/कोटद्वार/गोपेश्वर – चमोली/अल्मोडा ।
7. निरीक्षक (रेशम) सेलाकुई/सिंहनीवाला/ कफलखेत बागेश्वर ।
8. अपर सचिव, उद्यान एवं रेशम उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
9. स्थानान्तरण पत्रावली हेतु ।

  
निदेशक

रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड  
प्रेमनगर – देहरादून ।